नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा–201301, उ0प्र0
वेबसाइटः **www.noidaauthorityonline.com**

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सैक्टर 4, 5, 8, 9 एवं 10 के चिन्हित झुग्गीवासियों के पुनर्वास हेतु दो कक्षीय फ्लैटों की आवंटन योजना कोड सं. 2011–12 (एच) (01) के अन्तर्गत कुल चिन्हित 11565 झुग्गियों का संयुक्त सर्वे प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2009–10 में किया गया था। योजना की नियम व शर्तों के अनुसार वर्ष 2011 से 2018 तक पूर्व में प्राप्त एंव अवशेष आवेदन कुल 3790 आवेदनों का परीक्षण करने के उपरान्त अर्ह 1771 आवेदकों का ड्रा तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2020 को कराकर आवंटन पत्र जारी किया गया था। आवंटन पत्र में उल्लेखित है कि आवंटी द्वारा पट्टा प्रलेख कराने के उपरान्त पट्टा प्रलेख की पंजीकृत प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित भवन का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व झुग्गी का कब्जा वरि. प्रबंधक, वर्क सर्किल–1 को हस्तगत करते हुए झुग्गी खाली करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही आवंटित भवन का कब्जा आदेश जारी किया जायेगा। इस संबंध में पूर्व में भी दिनांक 11.06.2022 एवं 11.10.2022 को सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराया जा चुका है परन्तु देखने में आया है कि वर्तमान में भी काफी संख्या में आवंटियों द्वारा झुग्गी की सीलिंग एवं आवंटित भवन का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई है।

ऐसे आवंटी जिनके द्वारा झुग्गी को सील कराकर वरि. प्रबंधक, वर्क सर्किल–1, नौएडा के कार्यालय से आवंटित भवन का कब्जा आदेश प्राप्त नहीं किया गया है, को झुग्गी सील कराकर भवन का कब्जा प्राप्त करने हेतु एक सप्ताह का अन्तिम अवसर **दिनांक 24.03.2023** तक प्रदान किया जाता है। ऐसे आवंटियों की सूची इन्दिरा गांधी कला केन्द्र, सैक्टर–6, नौएडा पर चस्पा भी करा दी गई है। उक्त तिथि के उपरान्त जिन आवंटियों द्वारा झुग्गी को सील कराकर आवंटित भवन का कब्जा प्राप्त नहीं किया जायेगा, ऐसे आवंटियों के आवंटन को बिना किसी अग्रिम सूचना/नोटिस के निरस्त कर दिया जायेगा।

विशेष कार्याधिकारी–भवन

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा